न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/385

प्रार्थना पत्र संख्या 77/2021 तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. बशीरशाह पुत्र कजोड़शाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर।
2. जुमरत पत्नि बशीरशाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण बशीरशाह पुत्र कजोड़शाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर एवं जुमरत पत्नि बशीरशाह फकीर निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2245/11966 रकबा 0.15 है0 साबिक ख0नं0 1724 वाके ग्राम खिरनी में आदेश दिनांक 11/07/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 2245/11966 रकबा 0.15 है0 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का कभी कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0नं0 2245/11966 रकबा 0.15 है0 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटियो का [illegible] कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी संवत 2073 से 2074 [illegible] अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट [illegible] है। अन्त में पेरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी बशीरशाह पुत्र कजोडशाह फकीर व जुमरत पत्नि बशीरशाह फकीर निवासी खिरनी को आराजी खसरा नम्बर 2245/11966 में से रकबा 0.15 है0 आदेश दिनांक 11/07/2000 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 719 दर्ज होकर दिनांक 01/12/2000 को स्वीकार हुआ। जमाबन्दी संवत 2077 (वर्ष 2020) के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2245/11966 में से रकबा 0.15 है0 पर काश्तकार 1. जुमरत पत्नि कजोडशाह सा0देह खातेदार 2. बशीरशाह पुत्र कजोडशाह सा0देह गैर–खातेदार अंकित है। तहसीलदार द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में बशीरशाह पुत्र कजोडशाह एवं जुमरत पत्नि बशीरशाह गैर–खातेदार होना अंकन है जबकि जमाबंदी संवत 2077 में जुमरत पत्नि कजोडशाह सा0देह खातेदार होना अंकित है। जुमरत बशीरशाह अथवा कजोडशाह में से किसकी पत्नी है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जमाबंदी संवत 2077 में बशीरशाह गैर खातेदार है जबकि जुमरत खातेदार अंकित है। जमाबंदी संवत 2077 में एक ही आवंटन के सहखातेदारों में से एक को खातेदार एवं एक को गैर–खातेदार दर्शाये जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) तहसीलदार मलारना डूंगर को प्रतिपेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में तथ्यों की जांच कर, कमी पूर्ति कर निर्धारित प्रपत्र में पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested